संख्या–526 चौवालिस-2-43/90

प्रेषक,

श्री राज कुमार भार्गव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रमों/निगमों/
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 1990

विषय :– सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादकता तथा निधियों की उपलब्धता के बीच समन्वय एवं राज्य सहायता की स्वीकृति की नई प्रक्रिया।

महोदय,

सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए की गयी है। उद्देश्यों की प्राप्ति सार्वजनिक उपक्रमों के कुशल वित्तीय तथा भौतिक कार्यचालन पर निर्भर करती है। उपक्रमों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए आन्तरिक संसाधनों का सृजन, संस्थागत वित्त की प्राप्ति तथा पूंजीगत निवेश एवं कार्यकारी पूंजी के लिए मार्जिन मनी के रूप में समय–समय पर राज्य सहायता की आवश्यकता होती है।

2. राज्य उपक्रमों को उचित समय पर निधियां प्रदान करने की व्यवस्था के साथ ही सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है कि निधियों का निवेश स्वाश्रयी योजनाओं में किया जाय तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर राज्यकोष पर निर्भरता की प्रवृत्ति को, विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त, सीमित रखा जाय। उपक्रम प्रबन्ध से निधियों की लागत (कास्ट फण्ड) तथा ऋण एवं अंशपूंजी (डेट इक्विटी) का स्वस्थ अनुपात सुनिश्चित करने पर बार–बार बल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

3.. अतः राज्य उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सहायता प्रदान करने की व्यवस्था को और अधिक उद्देश्यपरक बनाने के लिए शासन ने विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 1402/44-2-133/84, दिनांक, 6 दिसम्बर, 1989 में निर्धारित व्यवस्था का तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमण करते हुए उपक्रमों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया है:–

(क) सार्वजनिक उपक्रमों में परिणामोन्मुख संस्कृति के उदय तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा एम० ओ० यू० तैयार करने की नई प्रणाली का समारम्भ किया गया है। राज्य उपक्रमों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्तिम त्रैमास में आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना (ऐनुवल ऐक्शन प्लान) तैयार की जायेगा। राज्य सरकार द्वारा जिन उद्यमों के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षर किया जाना है, उन उद्यमों द्वारा अनुबन्ध पत्र तैयार किया जायेगा। इन वार्षिक कार्य योजनाओं तथा एम० ओ० यू० में निहित योजनाओं/कार्यक्रमों की विवेचना, व्यवहारिकता तथा क्रियान्वयन के साथ, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होंगे।

(ख) उपक्रमों द्वारा वार्षिक कार्य योजना/एम०ओ०यू० में सम्मिलित योजनाओं के लिए पूरे वर्ष में अंशपूंजी, दीर्घकालीन/अल्पकालीन ऋण तथा अनुदान के रूप में, निधियों की आवश्यकता का अनुमान (अनुलग्नक–1) प्रशासनिक विभाग द्वारा, ब्यूरो के परामर्श से निर्धारित कुशलता मानकों के आधार पर तैयरार किया जायेगा।

(ग) जिन उपक्रमोंको राज्य सहायता की आवश्यकता होगी उनके द्वारा अनुलग्नक–1, तथा 2 में उल्लिखित अभिलेखों के साथ एक प्रस्ताव (चार प्रतियों में), प्रशासनिक विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पत्रावली को, प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति तथा निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के साथ, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा।

(घ) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जो भी प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में प्राप्त होंगे, उनका परीक्षण 20 तारीख तक करने के उपरान्त ब्यूरो द्वारा, सम्बन्धित समितियों (अनुलग्नक–3) की बैठक आहूत कर, स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा

(च) उपक्रमों द्वारा अपेक्षित राज्य सहायता के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित समिति द्वारा अमुक धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते समय स्वीकृत धनराशि को, अंशपूंजी, दीर्घकालीन अथवा अल्पकालिक ऋण तथा अनुदान आदि के रूप में, प्रदान करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायेगा। राज्य सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायेगा। राज्य सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा लिए गये निर्णय एवं उनकी अन्य संस्तुतियों को अभिलिखित करते हुए पत्रावली प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी।

(छ) समिति की संस्तुतियां एवं उनके द्वारा लिए गये निर्णय वित्त/नियोजन विभाग की सहमति से लिए हुए माने जायेंगे। तद्नुसार राज्य सहायता की धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण करने के साथ–साथ, समिति की अन्य संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भी प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी

4. शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि उपक्रमों के प्रस्तावों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा बजट प्राविधान तथा पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड अथवा अन्य समितियों द्वारा पूंजीगत निवेश की स्वश्रयता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालित व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी।

5. मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है वार्षिक कार्य योजना/एम०ओ०यू० के आधार पर उपक्रमों को राज्य सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार वर्ष 1990-91 से क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
[राज कुमार भार्गव]
मुख्य सचिव।

संख्या–526(1)/44-2-43/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) नियोजन सचिव।
(3) वित्त सचिव।
(4) सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।

आज्ञा से,
[आर० रमणी]
सचिव।

अनुलग्नक–I

शासनादेश संख्याः 526/चौवालिस–2-43/90 दिनांकः 18.4.90 में सन्दर्भित राज्य सहायता का आगणन करने के लिए निर्धारित रूप पत्र

उपक्रम का नाम

वित्तीय वर्ष

(क) संसाधनों की स्थिति	वास्तविक	अनुमानित
	गत वित्तीय वर्ष के अन्त में	वर्तमान वर्ष के गत त्रैमासान्त की स्थिति
1. शासन से प्राप्त संसाधनः–		
अ. अंशपूंजी		
ब. ऋण		
स. अन्य		
2. संस्थागत वित्त तथा अन्य वाह्य श्रोतों से प्राप्त संसाधन		
अ. अंशपूंजी		
ब. ऋण		
स. अन्य		
3. आन्तरिक संसाधनों का सृजन		
अ. सामान्य संचय		
ब. विशेष संचय		
स. क्रमिक मूल्य ह्रास		
द. अन्य (यदि कोई हो)		
4. कार्यशील पूंजी हेतु संसाधन		
अ. कैश क्रेडिट तथा बैंकों के माध्यम से अन्य व्यवस्था		

5. विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त फण्ड/अनुदानः–

योजना का नाम	उपलब्ध धनराशि	प्रयुक्त धनराशि
क.		
ख.		
ग.		

(ख) ऋण भुगतान	गत वित्तीय वर्ष के अन्त में	
1. अदत्त ऋण (देय ऋण जिनका भुगतान नहीं हुआ)		
अ. संस्थागत/वाह्य संस्थाएं		
ब. राज्य सरकार		
2. ऋण पर अदत्त ब्याज (देय ब्याज जिनका भुगतान नहीं हुआ)		
अ. संस्थागत/वाह्य संस्थाएं		
ब. राज्य सरकार		
ग. निगम से सरकार को भुगतान की गयी धनराशि	गत वर्ष के दौरान	वर्तमान वर्ष में अनुमानित
1. ऋण की किश्तों का भुगतान		
2. ऋण पर ब्याज का भुगतान		
3. लाभांश		
अ. धनराशि		
ब. लाभांश का प्रतिशत		

घ. कार्यचालन परिणाम	गतवर्ष	वर्तमान वर्ष	आगामी वर्ष में अनुमानित
1. शुद्ध आय			
2. कार्यचालन पर व्यय			
3. कार्यचालन से लाभ/हानि (पी०बी०आई०टी)			
4. ब्याज			
5. आयकर			
6. नकद लाभ/हानि			
7. मूल्य ह्रास			
8. शुद्ध लाभ/हानि (पी०ए०टी०)			

(य) संसाधनों की आवश्यकता

1. राजस्व आय–व्ययक	वर्तमान वर्ष में
अ. कार्यशील पूंजी में वृद्धि	
ब. नकद हानि की प्रतिपूर्ति हेतु	
स. राज्य सहायतित योजनाएं	
1.	
2.	
द. अन्य	
योग=	

2. पूंजीगत आय–व्ययक	योजनागत	आयोजनेत्तर
अ. वर्तमान योजनाएं		
ब. नई योजनाएं		
स. आधुनिकीकरण		
द. अन्य		
योग=		

(र) संसाधनों की आवश्यकता हेतु निधियों के श्रोत

1. आन्तरिक संसाधन
2. क. संस्थागत वित्त
   ख. अन्य वाह्य श्रोत
3. आय–व्ययक के माध्यम से राज्य सहायता
   अ. अंश पूंजी
   ब. ऋण पूंजी
   स. अनुदान
   द. योजनाओं के निमित्त सहायता
   य. अन्य

अनुलग्नक 2

शासनादेश संख्या:526/चौवालिस-2-43/90 दिनांक: 18.4.1990 के संदर्भित राज्य सहायता की आवश्यकता के प्रस्ताव के साथ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भेजे जाने वाले अभिलेखों/विवरणियों की सूची

1. वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना/एम०ओ०यू०
2. आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना का पूर्वानुमान (दो वर्षों का रोलिंग प्लान)
3. वर्तमान वर्ष के आय–व्ययक
4. प्रशासनिक विभाग के आय–व्ययक में उद्यम के लिए आय–व्ययक प्राविधान (यह सूचना प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित की जायेगी)
5. गत वर्ष वित्तीय वर्ष का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ/हानि खाता (वार्षिक लेखे)
6. वर्तमान वर्ष का अनुमानित लाभ/हानि लेखा
7. गत वित्तीय वर्ष का फण्ड फ्लों विवरण तथा वर्तमान वर्ष का फण्ड फ्लों अनुमान

8. वर्तमान वर्ष के गत माह के अन्त तक, गत वर्ष की सन्दर्भित अवाध में तथा गत सम्पूर्ण वर्ष में कुशलता मानक के सन्दर्भ में भौनिक उपलब्धियां
9. कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधियों की आवश्यकता का विस्तृत श्रोत तथा औचित्य
10. पूंजीगत परियोजनाओं/योजनाओं के लिए पी०आई०बी० अथवा सक्षम समिति का अनुमोदन
11. योजना का संक्षिप्त वित्तीय विवरण, उपलब्ध कराई गई निधियां, उपयोग तथा गत दो वर्षों के काल में विशेष वर्तमान वर्ष के लिए निधियों की आवश्यकता
12. सांविधिक वित्तीय भुगतानों जैसे प्राविडेण्ट फण्ड, ई०आई०सी०, बिक्रीकर, उत्पादकर इत्यादि के सम्बन्धि में प्रमाण–पत्र
13. राज्य सहायता प्रदान करने के लिए गठित समिति की संस्तुतियों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण।

संस्तुतियां	कृत कार्यवाही
1.	
2.	
3.	

संस्थागत वित्त प्राप्त करने की दिशा में किये गये प्रयास तथा उनके परिणाम

टिप्पणी:–उपरोक्त अभिलेखों/विवरणियों को प्रस्ताव के साथ (4) प्रतियों में भेजा जाना चाहिए।

अनुलग्नक–3

सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 526/चौवालिस-2-43/90, दिनांक 18 अप्रैल, 1990 में सन्दर्भित गठित समितियां:

प्रथम समिति:

इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:–

1-	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2-	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3-	सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
4-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
5-	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य

प्रथम समिति द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जायेगी:–

1- सीमेंट निगम
2- वस्त्र निगम
3- अपट्रान
4- आटो ट्रैक्टर्स लि०
5- चीनी निगम
6- परिवहन निगम
7- यू०पी०एस०आई०डी०सी०
8- खनिज विकास निगम
9- हथकरघा निगम
10- आवास विकास परिषद्

द्वितीय समिति:

इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:–

1-	सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
3-	सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
4-	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य

द्वितीय समिति द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जायेगी:–

1- यू०पी०एफ०सी
2- पिकप
3- लघु उद्योग निगम
4- भण्डारागार निगम

5- यू०पी० एग्रो
6- जल निगम
7- निर्माण निगम
8- सेतु निगम
9- हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम

तृतीय समिति:

इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:—

1-	सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	अध्यक्ष
2-	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव,	सदस्य
3-	विशेषसचिव/संयुक्त सचिव नियोजन विभाग	सदस्य
4-	संयुक्त सचिव/निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य

तृतीय समिति द्वारा शेष उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों की समीक्षा की जायेगी।